International Journal of Sanskrit Research 2019; 5(3): 85-87

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2019; 5(3): 85-87
© 2019 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 28-03-2019
Accepted: 30-04-2019

डॉ. कमलेश कुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग के.ए. (पी.जी.) कालेज, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

Correspondence
डॉ. कमलेश कुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग के.ए. (पी.जी.) कालेज, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था

डॉ. कमलेश कुमार सिंह

प्रस्तावना

प्राचीन भारत के सभी राज्यशास्त्रावेत्ताओं ने राजा का एकमात्र कार्य प्रजारंजन बतलाया है। राजा की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य प्रजा का आत्यन्तिक कल्याण करना ही होना चाहिए। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राजा को अपनी प्रजा के दैनिक जीवन का पूरा ब्यौरा भी ठीक–ठाक मिलता रहना आवश्यक होता है। राजा को इस विषय की सूचना हर समय मिलती रहनी चाहिए कि उसके द्वारा संचालित शासन व्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं का प्रभाव उसकी प्रजा पर किस प्रकार पड़ रहा है। उसके शासन कार्य में कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं हो रही है, जिसके कारण उसके अधीन प्रजा को कश्ट हो रहा हो या उसके राज्य में कहीं ऐसे कर्मचारी तो नहीं हैं, जो अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन न कर रहे हों और जिसके कारण प्रजा पीड़ित हो रही हो अथवा प्रजा में ही कुछ ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह तो नहीं हैं, जो राज्य में प्रजा के सुख और शान्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हों। इस प्रकार राजा को अपनी प्रजा के सुख–दुख के कारणों का विवरण भली–भाँति ज्ञात होना चाहिए। ऐसे ही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गयी थी।

कौटिल्य ने राजाओं के निमित्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना परम् आवश्यक बतलायी है। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना के विषय में अर्थशास्त्र में विस्तृत वर्णन दिया है और गुप्तचर विभाग को बहुत ही आवश्यक विभाग माना है। गुप्तचर–व्यवस्था द्वारा राजा जनता व अपने कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। कौटिल्य द्वारा दी गयी दिनचर्या में हमने देखा हैं कि राजा प्रातःकाल और सांयकाल एक–एक घड़ी समय गुप्तचरों को देता है और गुप्तचरों से सूचनाएँ व समाचार प्राप्त करता हैं और उन्हें आगे का कार्य बतलाता है। गुप्तचर राजा की आँख और कान दोनों होते हैं। राज्य के अन्दर होने वाले षड़यंत्रों का पता लगाना, जनता पर अधिकारियों द्वारा या धनिकों द्वारा अत्याचार का पता लगाना राजा के लिए बहुत ही आवश्यक था। आज भी गुप्तचर व्यवस्था प्रत्येक देश में फैली हुई है। कौटिल्य के अनुसार, 'राजा राज्य कर्मचारियों तथा प्रजा की शुद्धता जानने के लिये गुप्तचरों की नियुक्ति करे। धन तथा सम्मान द्वारा सदैव उन्हे सन्तुष्ट रखें।

गुप्तचरों के भेद: गुप्तचरों की नियुक्ति करते समय कौटिल्य ने राजा को उपदेश दिया है कि वह दो श्रेणी के स्थायी गुप्तचर, जो एक ही स्थान पर रह कर कार्य करें तथा भ्रमणशील गुप्तचर जो घूम–घूम कर कार्य करें, उनकी नियुक्त करें। दोनों श्रेणियों में कुल नौ प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जिनमें एक से पाँच तक स्थाई तथा छः से नौ तक भ्रमणशील श्रेणी के गुप्तचर हैं, जो निम्न प्रकार के हैं–

1. कापटिक: कौटिल्य के अनुसार कापटिक गुप्तचर, लोगों के गुप्त रहस्यों का पता लगाने वाला, वाचाल, विद्यार्थी का कपटी वेश वनाये रखने वाला होता है।[1] कापटिक गुप्तचर मंत्री के सम्पर्क में रहने वाला गुप्तचर होता है। उसका मुख्य कर्तव्य राज्य में राजा और मंत्री के विरुद्ध किये जाने वाले अकल्याणकारी कार्यों का पता लगा कर, मंत्री को उन कार्यों व परिस्थितियों से अवगत कराना है।

2. उदास्थित: उदास्थित गुप्तचर बुद्धिमान, पवित्र आचरण वाला, सन्यास वेश धारण किये रहता है।[2] उदास्थित गुप्तचर व्यापारियों और पशुपालकों के मध्य संन्यासवेश धारण करके अपने सहचर विद्यार्थी रूप धारण किये हुए गुप्तचरों के साथ रहता है और उनके दैनिक आचरण व व्यवहार सम्बन्धी क्रियाओं का समाचार राजा तक पहुचाता रहता है। इस प्रकार उदास्थित गुप्तचरों का मुख्य कर्त्तव्य वार्ता से सम्बन्धित जनता के गुप्त रहस्यों का पता लगाना और उन्हें राजा तक पहुँचाना था।

3. गृहपतिक: गरीब, बुद्धिमान और शुद्ध आचरण युक्त कृशक वेशधारी गुप्तचर गृहपतिक कहलाता है।[3] गृहपतिक गुप्तचर का कार्यक्षेत्र राज्य के कृशकों के मध्य निर्धारित किया गया है। कृशक वर्ग को राजा के अनुकूल बनाए रखना गृहपतिक का मुख्य कर्त्तव्य माना गयाा है। गृहपतिक गुप्तचर राज्य के कृशक प्रजा के सम्पर्क में रहकर उनमें राजा के प्रति अनुराग उत्पन्न करता रहता है।

4. वैदेहक: गरीब व्यापारी वेश में रहने वाला, बुद्धिमान, पवित्र हृदय वाले गुप्तचर को वैदेहक नाम दिया गया है।[4] वैदेहक का कर्त्तव्य व्यापारियों के व्यापार के स्थानों पर रहकर व्यापारी वर्ग को राजा के अनुकूल बनाये रखना है और व्यापारियों के आचरण व व्यवहार तथा उनके दैनिक जीवन से सम्बधित घटनाओं के विषय में राजा को समाचार देना है।

5. **तापस:** जीविका के लिए सिर मुड़ाये या जटा धारण किये हुए राजा का कार्य करने वाला गुप्तचर तापस है।[5] वह कहीं नगर के पास ही बहुत–से मुण्ड या जटिल विद्यार्थियों को लेकर रहे और महीने–दो महीने तक लोगों के सामने हरा शाक या मुटटी भर अनाज खाता रहे। गुप्तरूप से अपनी रुचि के अनुसार भोजन कर सकते थे।

कौटिल्य के अनुसार इनके बड़े सिद्ध तापस होने की प्रसिद्धि करने में वैदेहक नामक गुप्तचर इनकी सहायता करते थे। तापस गुप्तचर का मुख्य कर्त्तव्य यह है कि जो लोग किसी कारण वश कुपित हो गये हों उनका सत्कार धन और मान से कराकर उनको सन्तुष्ट कर देना चाहिए और उनके क्रोध को शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। परन्तु जो बिना किसी कारण के रुश्ट हुए हों उनको दण्ड दिलवाना चाहिए। राजद्वेशियों का गुप्त रीति से वध करवाने की व्यवस्था उनके द्वारा की जानी चाहिए।

6. सत्री: हस्तरेखा के ज्ञाता, वशीकरण, मायावी, तंत्र–मंत्र के ज्ञाता, इन्द्रजाल विद्या, आश्रमधर्म के ज्ञाता, शकुन और पक्षियों की बोली द्वारा शुभ और अशुभ के जानने वाले गुप्तचर सत्री कहलाते हैं।[6] कामशास्त्र और गीत–नृत्य आदि कला– में कुशल गुप्तचर सत्री कहलाते हैं।

7. तीक्ष्ण: शूरवीर, शक्तिशाली, शरीर और आत्मा की परवाह न करने वाले और धनोपार्जन के लिए हाथी, बाघ और साँप से भी युद्ध करने वाले गुप्तचर तीक्ष्ण नाम से सम्बोधित किये गये हैं।[7]

8. रसद: रसद नाम के गुप्तचर बड़े क्रूर पुरुष होते थे। ये अपने भाई–बन्धुओं पर भी स्नेह नहीं रखते थे और बड़े आलसी होते थे।

9. परिव्राजिका: जीविका की आकांक्षा वाली परिव्राजिका गरीब, विधवा, बात– चीत में कुशल, रनिवास में सत्कार पायी हुई ब्राह्मणी, बड़े–बड़े अधिकारियों के घरों में प्रवेश करने वाली होती हैं। मूड़ मुड़ाए स्त्री या घर में सेवा करने वाली धोबिन, नाईन, भंगिन आदि परिव्राजिका की कोटि की मानी गयी हैं।[8]

कौटिल्य विषकन्याओं को भी रखने की सलाह देते हैं। जो विष खिला कर पाली जाती थीं। इन्हें शत्रु के पास भेजा जाता था, जो अपने रूप, यौवन, हाव– भाव से व्यक्ति को आकर्षित कर विशयभोग के लिये तैयार कर लेतीं और शत्रु को मृत्यलोक प्रदान करती थीं।

इन नौ प्रकार के गुत्पचरों में से प्रत्येक प्रकार के गुप्तचर दो वर्गों में विभक्त किये गये हैं। इन दोनों प्रकार के गुप्तचरों को कौटिल्य ने अभ्यन्तर और बाह्यचर के नाम से सम्बोधित किया है।

(a) **अभ्यान्तर गुप्तचर:** जो गुप्तचर मंत्री आदि अधिकारियों अथवा अन्य लोगों के घरों में सेवक के रूप में रहते थे और गुप्त रूप से उनके दैनिक जीवन सम्बन्धी घटनाओं की सूचना राजा तक पहुँचाते रहते थे, वे अभ्यान्तर गुप्तचर कहलाते थे। इनमें रसोई बनाने वाला, मांसपाचक, स्नान कराने वाला, हाथ–पैर दबाने वाला, बिस्तर लगाने वाला, वस्त्र पहनाने वाला तथा जल भरने वाला व्यक्ति सम्मिलित था। कुबड़े, बौने, मूर्ख, गूँगे, बहरे, पागल, अन्धे आदि के बहाने तथा नट, नर्तक, गायक, वादक, कथा–कहानी कहने वाला बनकर यह पुरुष या स्त्री गुप्तचर राज्य के कर्मचारियों के आचरण व व्यवहार का पता करने के लिए नियुक्त किये जाते थे।

(b) **बाह्यचर गुप्तचर:** ये गुप्तचर छल पूर्वक, चॅवर, पंख, पादुका, आसन, मान, वाहन, आदि को धारण कर राजकीय कार्य ग्रहण करके, अन्य राजकीय कर्मचारियों के भेदों का पता लगाते रहते थे।

गुप्तचरों का संगठन: गुप्तचरों के संगठन को कौटिल्य ने 'संस्था' की संज्ञा दी है। प्रत्येक प्रकार के गुप्तचरों की अपनी अलग–अलग संस्था थी। इन संस्थाओं के अपने–अपने अधिकारी गण होते थे। गुप्तचर अपने–अपने कर्त्तव्यानुसार समाचार को अपनी संस्था के अधिकारी के पास पहुँचाते थे। संस्था के अधिकारी इस प्रकार प्राप्त समाचार को राजा तक पहुँचाता था। एक गुप्तचर संस्था के गुप्तचर और अधिकारी दूसरी गुप्तचर संस्था के गुप्तचरों द्वारा लाये गये और उस संस्था के अधिकारियों द्वारा भेजे गये समाचार को जान न सके, इस विषय का समुचित प्रबन्ध किया जाता था।[9]

गुप्तचरों की लिपि: गुप्त बातों का रहस्य न खुलने पाए इसलिए गुप्तचर विभाग में सांकेतिक लिपि का प्रयोग किया जाता था। गुप्तचर विभाग के अन्तर्गत जो समाचार एक गुप्तचर दूसरे गुप्तचर या गुप्तचर संस्था के अधिकारियों के पास लिखकर भेजे जाते थे, उसके लिए वह एक विशेष प्रकार की लिपि का आश्रय लेते थे। इस लिपि को गुप्तचर विभाग के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं समझ सकता था। इस प्रकार की लिपि का प्रयोग अर्थशास्त्र के रचनाकाल में गुप्तचरों द्वारा किया जाता था, जिसकी पुश्टि कौटिल्य ने निम्न शब्दों में की है,– 'संस्था के अन्तेवासी कर्मचारी अपनी सांकेतिक लिपि में लिखकर गुप्तचर या संचार नाम के गुप्तचरों के पास समाचार पहुँचा दिया करे'।

गुप्तचरों में दण्ड विधान: कौटिल्य के अनुसार राजा को केवल एक गुप्तचर द्वारा कही गयी बात पर ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी विषय में जब तक कम से कम तीन गुप्तचरों से एक ही समाचार प्राप्त न हो जाए, तब तक उस समाचार पर राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि गुप्तचर बार–बार असत्य समाचार लाता है, तो ऐसे गुप्तचर को गुप्त रीति से दण्डित करना चाहिए या उसको पद से हटा देना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था की उत्तमता राज्य के शासन के उत्तम होने पर निर्भर है।

सन्दर्भ

1. परमर्मज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापटिकः।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषोत्पत्ति, कापटिकनियुक्ति।।
2. प्रवज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्तः उदास्थितः।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषोत्पत्ति, उदास्थितनियुक्ति।।
3. कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिकव्यंजनः।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषोत्पत्ति, गृहपतिकनियुक्ति।।
4. वाणिज्यको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो वैदेहककव्यंजनः।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषोत्पत्ति, वैदेहकनियुक्ति।।
5. मुण्डो जटिलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यंजनः।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषोत्पत्ति, तापसनियुक्ति।।
6. ये चास्य सम्बन्धिनोऽवष्यभर्तृव्यास्ते लक्षणमंगविद्यां जम्भकविद्यां मायागतमाश्रमधर्म निमित्तमन्तरचक्रमित्यधीयमानाः सत्रिणः संसर्गविद्या वा।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषप्रणिध, सत्रिनियुक्ति।।

7. ये बन्धु निःस्नेहाः क्रूराश्चालसाः ते रसदाः।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषप्रणिध, रसदनियुक्ति।।
8. परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्रह्मण्यन्तःपुरेकृत्सत्कारा.।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषप्रणिध, परिव्राजिकानियुक्ति।।
9. संस्थानामन्तेवासिनःसंज्ञालिपिभ्सिष्चारसंचारं कुयुः। नचान्योन्यं संस्थास्ते वा विद्युः।। अर्थशास्त्र, गूढ़पुरुषप्रणिध, संस्था निर्देश।।